ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ (ഭരണം) &
ചീഫ് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ

വനം വകുപ്പ് ആസ്ഥാനം
വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം - 695 014
ഫോൺ: +91-471-232 1610
മൊബൈൽ: +91-9447 979 003
ഇ-മെയിൽ: cww.for@kerala.gov.in

WL3 - 23824/2012(h)

തീയതി: 04/03/2026

ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ
വൈൽഡ് ലൈഫ്
പാലക്കാട്

വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ
പീച്ചി

സർ,

വിഷയം: പീച്ചി-വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ ഇക്കോ-സെൻസിറ്റീവ് സോൺ (ESZ) രൂപീകരിക്കുന്നത് - കേന്ദ്ര സർക്കാർ കരട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:

മേൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച 27.02.2026 തീയതിയിലെ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. ടി വിജ്ഞാപനത്തിന്മേലുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടേയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടേയും അഭിപ്രായങ്ങൾ/നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരായുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, വിവിധ ദൃശ്യ-മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ടി വിജ്ഞാപനത്തിന് വ്യാപകമായ പബ്ലിസിറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഉള്ളടക്കം: മേൽപ്പറഞ്ഞത്

04/03/2026

**അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ (ഭരണം) &
ചീഫ് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡനു വേണ്ടി**

പകർപ്പ്: ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ(ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി)-ക്ക് നൽകുന്നു. ടി വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പകർപ്പ് വനം വകുപ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032026-270617
CG-DL-E-02032026-270617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1031] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल्गुन 8, 1947
No. 1031] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026/PHALGUNA 8, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026

का.आ. 1075(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाना वाले निम्नलिखित प्रारुप अधिसूचना को, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अंतर्गत अपेक्षानुसार, इससे प्रभावित होने वाले जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और इसके द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से साठ दिनों कि अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा, जिस तारीख से अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाएंगी;

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे इस प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज कराना या वह सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्र सरकार के द्वारा विचार किए जाने के लिए, ऐसी आपत्ति या सुझाव का सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य 125 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और केरल राज्य में त्रिशूर जिले के त्रिशूर और थलप्पिल्ली तालुकों में स्थित है।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य 10o27'54.0" उत्तर से 10o39'47.09" उत्तर तक के अक्षांशों और 76o18'4.12" पूर्व से 76o28'53.15" पूर्व तक के देशांतरों की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित है। इस संरक्षित क्षेत्र में परवत्तानी, मचाडमाला और भरणीपचमाला अभ्यारण्यों के कुछ हिस्से स्थित हैं।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य में जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की अत्यधिक विविधता है। इस अभयारण्य में प्रायद्वीपीय भारत के लगभग सभी प्रमुख स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। अभयारण्य की स्थलाकृति और जलवायु विविध प्रकार के जानवरों के लिए विविध सूक्ष्म और स्थूल आवासों की उपस्थिति को संभव बनाती है। चिड़ियाघर-भौगोलिक दृष्टि से, इस क्षेत्र को इंडो-मलायन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य में पौधों की प्रजातियों के प्रमुख परिवारों में आते हैं कई अन्य सहित *एकेंथेसी, अमेरेन्थेसी, एनोनेसी, एपिएसी, एपोसिनेसी, एरेसी, एस्क्लेपोडेसी, एस्टेरेसी, बाल्सामिनेसी, बेसेलेसी, बेगोनियासी, सेलास्ट्रेसी, क्लोरैन्थेसी, कोक्लोस्पर्मेसी, कॉम्ब्रेटेसी, कोनिमेलिनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, क्रासुलेसी, साइपरेसी, डेटिसेसी, एबेनेसिया, एलियोकार्पेसी, यूफोरबीएसी, फैबेसी, मिमोसेसी, हाइपोक्सीडेसी, इकासिनेसी, लैमियासी, मोरेसी, निक्टाजिनैकैक, ऑर्किडेसी, ओरोबैंचेसी, पोएसी, पॉलीगैलेसी, रुबीएसी, सैपिंडेसी, स्क्रोफूलैरिएसी, टीलिएसी* शामिल हैं। संरक्षित क्षेत्र में और उसके आसपास पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों में पाली (*पैलाक्वियम एलिप्टिकम*), नांगु (*मेसुआ फेरिया*), वेडिप्लावु (*कुलेनिया एक्सारिलाटा*), कालपिन (*डिप्टरोकार्पस इंडिकस*), कंबकम (*होपिया परविफ्लोरा*), वेल्लाकिल (*डायसॉक्सिलम मालाबारिकम*), वेट्टी (*अपोरोसा लिंडलेयाना*), थेली (*कैनेरियम स्ट्रिक्टम*), नासाकम (*मेलिकोप लूनु-एंकेंडा*), कुरंगुमंजल (*मैलोटस फिलिपेंसिस*), मंजाकादाम्बु (*हल्दीना कॉर्डिफोलिया*), एलावु (*बॉम्बैक्स सीइबा*), वेम्बू (*टूना सिलियेट*), नजावल (*साइजियम क्यूमिनी*), वेल्लिलावु (*लेगरस्ट्रोमिया*) *माइक्रोकार्पा*), करुवा (*सिनामोमम ज़ेलेनिकम*), नासाकम (*मेलिकोप लुनुअनकेंडा*), चेनकोली (*मैलोटस फ़िलिपेंसिस*), मारुथु (*टर्मिनलिया पैनिकुलेट*), करीमारुथु (*टर्मिनलिया टोमेंटोसा*), थान्नी (*टर्मिनलिया बेलिरिका*), चलावाका (*अल्बिजिया प्रोसेरा*), पाला (*एल्सटोनिया स्कॉलरिस*), वीटी (*डालबर्गिया लैटिफोलिया*), वेल्लीवु (*लेगरस्ट्रोमिया माइक्रोकार्पा*), इरुल (*ज़ाइलिया जाइलोकार्पा*), कैनी (*ब्रिडेलिया रेटुसा*), पेझु (*केरेया आर्बोरिया*), कन्निकोना (*कैसिया) फिस्टुला*), पुन्ना (*डिलेनिया पेंटाग्यना*), और बांस (*बम्बुसा अरुंडिनेशिया*) सम्मिलित हैं।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य में दर्ज किए गए प्रमुख जीव हैं बाघ (*पैंथेरा टाइग्रिस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पिनस*), स्लॉथ भालू (*मेलर्सस उर्सिनस*), हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*), सांभर हिरण (*रूसा यूनिकलर*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), बार्किंग डियर (*मंटियाकस मंटजैक*), माउस डियर (*मोशियोला इंडिका*), नीलगिरि लंगूर (*सेमनोपिथेकस जॉनी*), बोनट मकाक (*मकाका रेडिएट*), जंगल पाम गिलहरी (*फनाम्बुलस ट्रिस्ट्रिएटस*), मालाबार विशाल गिलहरी (*रतुफा इंडिका*), सह्याद्रिस वन चूहा (*रैटस सतारे*), इंडियन क्रेस्टेड साही (*हिस्ट्रिक्स) इंडिका*), भारतीय उड़न लोमड़ी (*प्टेरोपस गिगेंटस*), फुलवस लीफ-नोज्ड बैट (*हिप्पोसाइडरोस फुलवस*), गोल्डन जैकाल (*कैनिस ऑरियस*), स्मूथ कोटेड ओटर (*लुट्रोगेल पर्सपिसिलाटा*), छोटा भारतीय सिवेट (*विवर्रिकुला इंडिका*), ग्रे मोंगोज (*हर्पेस्टेस एडवर्ड्सी*), जंगली सूअर (*सस स्क्रोफा*), आदि।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य की पक्षी प्रजातियों में *फालाक्रोकोरासिडी, एनहिगिडी, एनाटिडे, एक्सीपिट्रिडे, फाल्कोनिडे, फासियानिडे, रैलीडे, लारिडे, कोलंबिडे, कुकुलिडे, स्ट्रिगिडी, कैप्रिनिउलगिडी, एपोडिडे, मेरोपिडे, मेगालाइमिडे, पिट्टिडे, कैम्पेफैगिडिए, पाइकोनोटिडे, टर्डिडे, स्टुओस्टिरिडे, सिटिडे, पासेरिडे* आदि स्पिसीज सम्मिलित हैं। कुछ प्रमुख पक्षियों में लिटिल कॉर्मोरेंट (*माइक्रोकार्बो नाइजर*), ग्रे हेरॉन (*एर्डिया सिनेरिया*), स्ट्राइएटेड हेरॉन (*ब्यूटोराइड्स स्ट्रिएटस*), उत्तरी पिंटेल (*एनस एक्यूटा*), ब्राम्हिणे चील (*हैलिएस्टर इंडस*), यूरेशियन मार्श हैरियर (*सिरकस ऐनीजिनोसस*), ब्लैक ईगल (*इक्टिनेटस मालाएंसिस*), कॉमन केस्ट्रेल (*फाल्को टिननकुलस*), लिटिल रिंग्ड प्लोवर (*चाराड्रियस डबियस*), ग्रीन इंपीरियल-पिजन (*ड्रुकुला एनेआ*), रोज़-रिंग्ड पैराकीट (*सिटाकुला क्रैमेरी*), कॉमन हॉक कोयल (*हायरोकोक्सीक्स वेरियस*), ड्रोंगो कोयल (*सर्निकुलस लुगुब्रिस*), स्पॉटेड आउलेट (*एथेन ब्रामा*), ग्रेट इयर्ड निगबटजार (*यूरोस्टोपोडस मैक्रोल्स*), इंडियन रोलर (*कोरासियास बेंघालेंसिस*), मालाबार बारबेट (*साइलोपोगोन मालाबारिकस*), येलो क्राउन्ड वुडपेकर (*लियोपिकस महराटेंसिस*), रेड-रम्प्ड स्वैलो (*सेक्रोपिस डौरिका*), फॉरेस्ट वैगटेल (*डेंड्रोनंथस इंडिकस*), ऑरेंज मिनिवेट (*पेरिक्रोकोटस फ्लेमियस*), फ्लेम-थ्रोटेड बुलबुल (*पाइक्नोनोटस गुलारिस*), जेर्डन लीफबर्ड (*क्लोरोप्सिस जेरडोनी*), इंडियन ब्लैकबर्ड (*टर्डस सिमिलिमस*), रूफस बैबलर (*आर्ग्या सबनिफा*), थिक-बिल्ड वार्बलर (*अरुंडिनैक्स एडन*), नीलगिरी फ्लाईकैचर (*यूमियास एल्बिकाडेटस*), इंडियन ब्लू रॉबिन (*लार्विवोरा ब्रुनेया*) ओरिएंटल मैगपाई-रॉबिन (*कोप्सिचस सॉलारिस*), थिक-बिल्ड फ्लावर पेकर (*डाइकेम एजिल*), पर्पल सनबर्ड (*सिनिरिस एशियाटिकस*), ब्राह्मणी स्टार्लिंग (*स्टर्नस पैगोडारम*), इंडियन गोल्डन ओरिओल (*ओरियोलस कुंडू*), रूफस ट्रीपी (*डेंड्रोसिटा वैगाबुंडा*), रोज़ी स्टार्लिंग (*पास्टर रोज़ियस*), और कई अन्य।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य कई महत्वपूर्ण सरीसृप प्रजातियों का समर्थन करता है जैसे कि कोचीन वन केन कछुआ (*विजयाचेलीज सिल्वेटिका*), भारतीय काला कछुआ (*मेलानोचेलीज ट्राइजुगा*), त्रावणकोर कछुआ (*इंडोटेस्टुडो ट्रावनकोरिका*), इलियट की वन छिपकली (*मोनिलसॉरस एलियोटी*), रूक्स की वन छिपकली (*मोनिबेसॉरस रूक्सी*), वायनाड डे जेको (*सीनेमास्पिस वायनाडेन्सिस*), बार्क जेको (*हेमिडैक्टाइलस लेसचेनॉल्टी*), कॉमन कील्ड स्किंक (*यूट्रोपिस कैरिनाटा*), बंगाल मॉनिटर (*वरनस बेंगालेंसिस*), इंडियन रॉक पाइथन (*पायथन मोलुरस*), कॉमन कुकरी सांप (*ओलिगोडोन अर्नेंसिस*), कॉमन वुल्फ स्नेक (*लाइकोडोन ऑलिकस*), स्ट्राइप्ड कीलबैक (*एम्फीस्मा स्टोलेटम*), कॉमन इंडियन क्रेट (*बंगारस कैर्यूलस*), रसेल वाइपर (*डाबोइया रसेली*), इत्यादि ।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य कई महत्वपूर्ण उभयचर प्रजातियों का समर्थन करता है, जैसे कि आम भारतीय टोड (*डट्राफ्रिनस मेलानोस्टिक्टस*), स्किटरिंग मेंढक (*यूफलिटिक्स साइनोफ्लिक्टिस*), भारतीय बिल खोदने वाले मेंढक (*स्फेरोथेका ब्रेविसेप्स*), लाल संकीर्ण मुंह वाला मेंढक (*माइक्रोहिला रूब्रा*), दो रंग वाला मेंढक (*क्लिनोटारसस कर्टिप्स*), आम भारतीय वृक्ष मेंढक (*पॉलीपेडेट्स मैक्युलेट्स*), जल बूंद मेंढक (*राओर्चेस्टेस नेरोस्टागोना*), मालाबार ग्लाइडिंग मेंढक (*राकोफोरस मालाबारिकस*), अनामल्लाइस लीपिंग मेंढक (*इंदिराना ब्रैचीटारसस*), दक्षिण भारतीय मेंढक (*इंदिराना सेमिपाल्माटा*), मेननस सीसिनियन (*यूरेओटिफ़्लस मेनोनी*), आदि।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली मछली प्रजातियों में शामिल हैं ब्लैक लाइन रासबोरा (*रासबोरा डांडिया*), कॉमन कार्प (*साइप्रिनस कैप्रियो*), ब्लैक स्पॉट बार्ब (*डोर्किसिया फिलामेंटोसा*), रोहू (*लेबियो रोहिता*), कतला (*लेबियो कतला*), प्रायद्वीपीय जैतून बार (*सिस्टोमस सरना*), वेस्टर्न घाट लोच (*भवनिया ऑस्ट्रेलिस*), मालाबार लोच (*लेपिडोसेफालस थर्मलिस*), मालाबार मिस्टस (*मिस्टस ओकुलैटस*), इंडियन बटर कैटफ़िश (*ओमपोक बिमाकुलैटस*), फ्रेश वॉटर गारफ़िश (*ज़ेनेंटोडोन कैंसिला*), मालाबार किल्ली (*एप्लोचिलस लाइनिएटस*), ऑरेंज क्रोमिड (*स्यूडेट्रोप्लस मैक्यूलैटस*), टैंक गोबी (*ग्लोसोगोबियस गुइरिस*), आदि।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली तितली प्रजातियों में स्पॉट स्वोर्डटेल (*ग्रैफियम नोमियस*), क्रिमसन रोज़ (*पचलिओप्टा हेक्टर*), टेल्ड जे (*ग्रैफियम एगामेमन*), रेड हेलेन (*पैपिलियो हेलेनस*), लाइम बटरफ्लाई (*पैपिलियो डेटनोलस*), ब्लू मॉर्मन (*पैपिलियो पॉलीमनेस्टर*), पेंटेड सॉटूथ (*प्रोजोनेरिस सीता*), चॉकलेट अल्बाट्रॉस (*अप्पियास लिनसीडा*), बैम्बू ट्री ब्राउन (*लेथे यूरोपा*), कॉमन फोर-रिंग (*यप्थिमा ह्यूबनेरी*), कॉमन सेलर (*नेप्टिस हिलास*), कॉमन कैस्टर (*एरियाडने मेरियोन*), पीकॉक पैंसी (*जुनोनिया अल्माना*), ब्लू टाइगर (*तिरुमाला लिम्नियास*), स्ट्राइप्ड टाइगर (*डैनास जेनुटिया*), कॉमन पियरोट (*कास्टालियस रोसिमोन*), पेल ग्रास ब्लू (*स्यूडोज़ाइज़रिया महा*), कॉमन ऑल (*हागोरा बद्र*), बुश हॉपर (*एम्पिटिया डायोस्कोराइड्स*), जायंट रेड-आई (*गंगारा थाइरिस*), राइस स्विफ्ट (*बोर्बो सिन्नारा*), वॉटर स्नो फ्लैट (*टैगियाडेस लिटिगियोसा*), गोल्डन एंगल (*ओडोन्टोप्टिलम रैनसोनेटी*), टॉनी कोस्टर (*एक्रेआ वायोला*), मोटल्ड इमिग्रेंट (*कैटोप्सिलिया पाइरेंथे*), पेल ग्रास ब्लू (*स्यूडोज़ाइज़रिया महा*), कून (*सोलोस फुलिगो*), इत्यादि शामिल हैं।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख वनस्पति प्रकार नम पर्णपाती है, जो अभयारण्य क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से को कवर करती है। ऊँची ढलानों पर अर्ध-सदाबहार और कुछ सदाबहार क्षेत्र देखे जा सकते हैं। इसलिए, यहाँ की वनस्पति नम पर्णपाती से सदाबहार में बदल जाती है। अभयारण्य क्षेत्र नेल्लियमपथियों से लेकर दक्षिणी सीमा पर चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य तक फैले विशाल वन क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी भाग के अंत में स्थित है। इस अभयारण्य के जंगल परम्बिकुलम और वझाचल जंगलों से जुड़े हुए हैं।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में अनामुदी हाथी रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसका कुल वन क्षेत्र 3728 वर्ग किमी है।अनामुडी हाथी रिजर्व में कई संरक्षित क्षेत्र जैसे परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पीची वन्यजीव अभयारण्य, चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य, थट्टेक्कड़ वन्यजीव अभयारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंबाडुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान और कुरिन्जिमाला वन्यजीव अभयारण्य और वज़ाचल, नेनमारा, चलाकुडी, त्रिशूर, मुन्नार, मलयत्तूर, कोठामंगलम और मनकुलम वन प्रभागों के वन क्षेत्र आते हैं।

और जबकि, अभयारण्य क्षेत्र पश्चिमी घाटों में दक्षिण भारतीय नम पर्णपाती वनों का एक बड़ा प्रतिनिधि क्षेत्र है, जिसमें दक्षिण भारतीय वन्यजीवन की लगभग पूरी श्रृंखला के प्रतिनिधित्व के साथ संबंधित वनस्पति और जीव विविधता है।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य के वन मृदा और जल संरक्षण व्यवस्थाओं पर अपने अनुकूल प्रभाव के माध्यम से पीची और वझानी जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र बनाते हैं, तथा त्रिशूर शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के साथ-साथ कृषि भूमि की सिंचाई करके इन जलाशयों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों सहित असाधारण औषधीय पादप विविधता है। अभयारण्य के वन सूक्ष्म जलवायु में सुधार करते हैं और आस-पास की बस्तियों और कृषि भूमि की मृदा एवं जल संरक्षण व्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं।

और जबकि, पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के आसपास के क्षेत्र को, जो पैराग्राफ 1 में पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट है, संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग और उनके संचालन और प्रक्रियाओं का निषेध करना आवश्यक है;

अब, अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में आगे पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, केन्द्रीय सरकार, केरल राज्य के त्रिशूर जिले के त्रिशूर और थलप्पिल्ली तालुकों में पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास 0 किलोमीटर से 6.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (इस अधिसूचना में आगे पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैं अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएँ.-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 किमी से 6.5 किमी तक होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 76.8 वर्ग किलोमीटर होगा।

(2) पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(3) पीची-वज़ानी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र अनुलग्नक- **II क और अनुलग्नक- II ख** के रूप में संलग्न हैं।

(4) पीची-वज़ानी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न हैं।

(5) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची **अनुलग्नक-IV** में दी गई है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार तथा केंद्रीय और राज्य विधानों के सुसंगत और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, अनुरुप तैयार कि जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से कि जाएगी ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोणों को एकीकृत किया जा सके.-

i. पर्यावरण, वन;

ii. शहरी विकास;

iii. पर्यटन, नगरपालिका;

iv. राजस्व;

v. सिंचाई

vi. स्थानीय स्वशासन विभाग;

vii. लोक निर्माण विभाग

viii. केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(4) आंचलिक महायोजना में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंद नहीं लगाया जाएगा जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, में वनरहित क्षेत्रों का पुर्नस्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, औचित्यपूर्ण जल प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का प्रावधान किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा, सहायक मानचित्रों के साथ जिनमें विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों का निर्धारण किया जाएगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास को विनियमित किया जाएगा और पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिबंधित और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपाबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को पूरा करने के लिए निगरानी समिति के लिए संदर्भ दस्तावेज होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि, निगरानी समिति की सिफारिश पर केंद्र तथा राज्य सरकार के शहरी नियोजन अधिनियम तथा अन्य नियमों एवं विनियमों यथा लागू, के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुमति दी गई है, जैसे,-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 के मद में यथा उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) सहित वर्तमान में लागू विधियों के उपबंधों के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के किसी भी उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मॉनीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख)अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक झरनों/नदियों/चैनलों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) पर्यटन या पारि-पर्यटन – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारि-पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा केरल सरकार के राजस्व एवं वन विभाग के परामर्श से तैयार किया जाएगा;

(i) वन क्षेत्रों में पारि पर्यटन कार्य योजना और प्रबंधन योजना के अनुसार होगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का हिस्सा बनने वाले वन क्षेत्रों के लिए पारि-पर्यटन महा-योजना वन और वन्यजीव विभाग, राज्य पर्यटन विभाग के साथ मिलकर तैयार करेगा।

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना का घटक होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारि-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्: -

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर होटलों और रिसॉर्ट्स के नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी आवास के लिए;

बशर्ते कि मौजूदा प्रतिष्ठानों के विस्तार की अनुमति आंचलिक महायोजना के अनुसार दी जा सकती है;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नई पर्यटन क्रियाकलापों या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरणों द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार होगा, जिसमें पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता अध्ययन के आधार पर पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास पर जोर दिया जाएगा;

(iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की अनुमति संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा स्थल विशिष्ट जांच और

निगरानी समितियों की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनाई जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व की इमारतों, संरचनाओं, कलाकृतियों, क्षेत्र और परिसरों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर तैयार की जाएगी और आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** –पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके संशोधनों के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम और उसके संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित अपशिष्टों का निर्वहन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के अधीन आने वाले पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन के सामान्य मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा, -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया है;

(ख) अकार्बनिक सामग्री को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर अभिज्ञात स्थल पर निपटाया जा सकता है;

(ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाने या भस्म करने तथा लैंडफिल की स्थापना की अनुमति नहीं होगी;

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट -** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा,-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016; समय-समय पर संशोधित, के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी सामान्य उपचार सुविधा या भस्मीकरण की अनुमति नहीं होगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर संशोधित; अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर संशोधित; अधिसूचना, सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम,2016 , समय-समय पर संशोधित; के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात -** सड़क-यातायात को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण -** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईधनों जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां -** (क) आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण -**पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पीची-वझानी पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) तथा राज्य में प्रचलित अन्य अधिनियमों एवं नियमों के उपाबंधों द्वारा शासित होंगी। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले वन क्षेत्र विद्यमान वन विधियों के अधीन ही शासित होगें। इस अनुच्छेद के उपाबंधों के अधीन, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में क्रियाकलापों का विनियमन नीचे दिए गए सारणीबद्ध स्तंभ के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं .	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के निर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयां तत्काल प्रभाव से निषेध की जाएंगी; (ख) खनन कार्य सख्ती से माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के अंतरिम आदेश के अनुसार होगा, जो कि टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995 के मामले में और जो कि गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 435/2012 के मामले में है, माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार होगा।
(2)	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या उसके विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में वर्णित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को ही अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया गया हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।
(3)	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अशोधित बहिस्रावों का निस्सरण।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(6)	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट उपचार या प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं है। औद्योगिक प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों या अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए आगे कोई साझा या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा स्थापित करना निषेध है।
(7)	फर्मों, कॉर्पोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।

(8)	नव काष्ठाधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(9)	विस्फोटक वस्तुओं का विनिर्माण और भंडारण।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(10)	पहाड़ियों का व्यावसायिक उद्देश्य के लिए रूपांतरण।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(11)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(12)	नई सॉ मिलों की स्थापना की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या मौजूदा सॉ मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(13)	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(14)	नदी तटों पर अतिक्रमण और नदी तट की वनस्पति का विनाश, नदी के पत्थरों का संग्रह।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(15)	नदी और भूमि क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट या प्लास्टिक अपशिष्ट या रासायनिक अपशिष्ट से पाटना।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
(16)	होटलों और रिज़ॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए छोटे अस्थायी ढाँचों के। बशर्ते, मौजूदा प्रतिष्ठानों के विस्तार की अनुमति आंचलिक महायोजना के अनुसार दी जायेगी ।
(17)	निर्माण क्रियाकलाप।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। परंतु कि स्थानीय लोगों को अपने आवासीय उपयोग के लिए अपनी भूमि पर भवन उपनियमों के अनुसार पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति होगी, जैसे: i. मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कों का निर्माण; ii. बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण; iii. फरवरी 2016 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योग; iv. ग्रामोद्योग सहित कुटीर उद्योग; गृह वास सहित पारि-पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सुलभ दुकान और स्थानीय सुविधाएं; और v. इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलाप। ख. परंतु कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण क्रियाकलापों को, लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के

		अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के साथ, न्यूनतम स्तर पर विनियमित किया जाएगा। ग. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगी।
(18)	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी 2016 ,में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार और अपरिसंकटमय, लघु पैमाने के और सेवा उद्योग उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन ,पुष्प कृषि ,कृषि , की देशज सामग्री से उत्पादों का उत्पादन करने वाले कृषि आधारित उद्योग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।
(19)	वृक्षों की कटाई।	क. राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जा सकेगी। ख. वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। ग. आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्य योजना के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
(20)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(21)	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	भूमिगत केबल बिछाने संबंधी लागू विधियों के अधीन विनियमित करने को बढ़ावा दिया जाएगा।
(22)	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन के उपाय किये जाएगे।
(23)	मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों, घाटों, पुलों और पुलियाओं का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमन और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
(24)	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(25)	वाणिज्यिक मत्स्य पालन और अवैज्ञानिक मत्स्य पालन	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त), हालांकि, जनजातियों के वास्तविक उपयोग के लिए अनुमति दी गई है।
(26)	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(27)	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विनियमित होगा।
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।

(29)	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में शोधित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सरण।	शोधित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और स्लेज या ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए मौजूदा नियमों का पालन किया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्ट जल को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा। अन्यथा, उपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्ट जल के निर्वहन को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(30)	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(31)	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआं, बोरवेल आदि।	विनियमित और कार्यकलाप की सक्षम प्राधिकारी द्वारा कड़ाई से निगरानी की जाएगी।
(32)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(33)	विदेशी प्रजातियों का परिचय।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(34)	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(35)	पॉलिथीन बैग का प्रयोग करें।	विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, इसे लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
(36)	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
(37)	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
(38)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(39)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(40)	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
(41)	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायो-गैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को सक्रिय संवर्धन किया जाएगा ।
(42)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(43)	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(44)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(45)	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों की पुनर्बहाली।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(46)	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति :- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के अनुपालन की निगरानी हेतु पीची-वझानी पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति नामक एक समिति का गठन करती है। उप-अनुच्छेद (1) में विनिर्दिष्ट निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पदनाम
(i)	जिला कलेक्टर, त्रिशूर, पलक्कड़	अध्यक्ष;
(ii)	जिला पंचायत अध्यक्ष, त्रिशूर	सदस्य;
(iii)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केरल राज्य विद्युत बोर्ड/केरल जल प्राधिकरण/केरल राज्य सिंचाई विभाग/केरल राज्य पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को केरल सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(v)	केरल राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ, जिसे केरल सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(vi)	वन्यजीव संरक्षक, पीची-वझानी	पदेन, सदस्य-सचिव।

निगरानी समिति के कार्य-क्षेत्र - (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपाबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(3) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकालाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आती हैं, इसके पैराग्राफ 7 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर निगरानी समिति द्वारा जांच की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

(4) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में सम्मिलित नहीं किए गए और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की निगरानी समिति द्वारा वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अग्रेषित की जाएगी।

(5) निगरानी समिति के सदस्य सचिव पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(6) मामले दर मामले की अपेक्षाओं के आधार पर निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकती है।

(7) निगरानी समिति इस अधिसूचना के **अनुलग्नक- V** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को प्रस्तुत करेगी।

(8) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केन्द्र सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

(9) केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपाबंध को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, निर्दिष्ट कर सकती है।

(10) इस अधिसूचना के उपाबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/109/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक-'जी

अनुलग्नक I

पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य का सीमा विवरण

उत्तर और पूर्व: वाझानी बांध स्थल से लगभग 3.2 किमी उत्तर में 370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से शुरू होकर, सीमा वाझानी जलाशय की पूर्वी जलग्रहण सीमा के साथ कमोबेश दक्षिण-पूर्व में मुनिपपारा (515 मीटर) में थलापिल्ली और त्रिशूर तालुकों की सामान्य तालुक सीमा तक चलती है। तत्पश्चात् कमोबेश उसी दिशा में उक्त तालुकों की सामान्य तालुक सीमा के साथ पलक्कड़, त्रिशूर और थलप्पिल्ली तालुकों के त्रि-जंक्शन तक, तत्पश्चात् पलक्कड़ और त्रिशूर तालुकों की सामान्य तालुक सीमा के साथ पोनमुडी (914 मीटर) में पलक्कड़, मुकुंदपुरम और त्रिशूर तालुकों के त्रि-जंक्शन तक जाती है।

दक्षिण: तत्पश्चात् कमोबेश पश्चिम में मुकुंदपुरम और त्रिशूर तालुकों की सामान्य तालुक सीमा के साथ-साथ उक्त तालुक सीमा में एक बिंदु तक, जो मंगट्टुकोम्बन (840 मीटर) से लगभग एक किमी पश्चिम में है।

पश्चिम: तत्पश्चात् कमोबेश उत्तर-पश्चिम में पीची जलाशय की पश्चिमी जलग्रहण सीमा के साथ वेंगप्पारा (555 मीटर) और ऊंचाई बिंदु 245 और 185 होते हुए पीची बांध तक; तत्पश्चात् कमोबेश उत्तर की ओर उक्त जलग्रहण सीमा के साथ त्रिशूर-वानियमपारा सड़क से मिलने तक, तत्पश्चात् पहले कमोबेश पश्चिम-उत्तर पश्चिम और फिर कमोबेश उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर पीची और वझानी जलाशयों की पश्चिमी जलग्रहण सीमाओं के साथ ऊंचाई बिंदु 200 और 205 और वझानी बांध को पार करते हुए प्रारंभिक बिंदु तक।

यह अभयारण्य पूर्वी सीमा को छोड़कर, जो वानीम्पारा से दक्षिण-पूर्वी छोर के पास पलाकुझी तक है, आरक्षित वनों से घिरा हुआ है। त्रिशूर डिवीजन के मचाड क्षेत्र के आरक्षित वन उत्तर, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम में हैं और पट्टिक्कड़ क्षेत्र के आरक्षित वन पश्चिमी तरफ हैं और सीमा का एक छोटा सा हिस्सा दक्षिण-पश्चिम में चालक्कुडी डिवीजन के पलापिल्ली क्षेत्र के आरक्षित वनों और दक्षिण में चिमनी वन्यजीव अभयारण्य के वनों से सटा हुआ है और नेनमारा डिवीजन के अलाथुर क्षेत्र के आरक्षित वन पलाकुझी और पोनमुडी के पास दक्षिण-पूर्वी सीमा पर हैं।

पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र का सीमा विवरण

उत्तर	पीची- वझानी वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा अभयारण्य सीमा, जीपीएस बिंदु 13, कासुमाविन्थोप्पे (10°38′41.5″उ, 76°18′29.4″पू) से शुरू होती है, यहाँ से सीमा पश्चिम की ओर माचाड क्षेत्र की निकटतम आरक्षित वन सीमा जुंडा तक जाती है, (10°38'42.00"उत्तर, 76°18'26.00"पूर्व), वहां से, सीमा आरक्षित वन सीमा के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर चलती है जब तक कि यह जीपीएस प्वाइंट 14, करुमट्टारा (10°39′06.3″उ, 76°17′04.9″पू) तक नहीं पहुंच जाती है, यहां से सीमा सीधे जीपीएस बिन्दु 15, चेप्पलक्कोड (10°39′27.2″उ, 76°16′51.5″पू) की ओर चलती है, वहां से सीमा माचड क्षेत्र की आरक्षित वन सीमा के साथ चलती है जब तक कि यह जीपीएस बिंदु 1, करक्कड़ (10°41′09.5″उ, 76°16′55.4″पू) तक नहीं पहुंच जाती है, यहां से सीमा सीधे दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर जीपीएस बिंदु 2, टोट्टेक्कोड (10°40′18.3″उ, 76°18′31.8″पू) तक चलती है।
पूर्व	इसके बाद, सीमा माचड क्षेत्र की आरक्षित वन सीमा के साथ चलती है जब तक कि यह जीपीएस बिंदु 3, पलाम्याम्पदम (10°38′05.3″उ, 76°22′03.8″पू) तक नहीं पहुंच जाती, यहां से सीमा आरक्षित वन सीमा के साथ आगे दक्षिण में चलती है जब तक कि यह त्रिशूर और पलक्कड़ की जिला सीमा तक नहीं पहुंच जाती, यहाँ से सीमा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ज़िले की सीमा का अनुसरण करती हुई अभयारण्य सीमा, जीपीएस बिंदु 4, मणिमाला (10°35′24.6″उ & 76°24′09.6″पू) तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा अभयारण्य की सीमा का अनुसरण करती हुई पोनमुडी तक पहुँचती है, जहाँ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई शून्य है।
दक्षिण	वहां से, सीमा पश्चिम दिशा की ओर पीची- वझानी और चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्यों की अभयारण्य सीमा का अनुसरण करती है जब तक कि यह जीपीएस बिंदु 5, मघट्टुकोम्बन (10°28′11.9″उ और 76°25′06.9″पू) तक नहीं पहुंच जाती। यहां, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई शून्य है
पश्चिम	इसके बाद, सीमा त्रिशूर और चालाकुडी की तालुक सीमा के साथ चलती है जब तक कि यह जीपीएस बिंदु 6, नादम्पदम (10°27′21.1″उ & 76°22′11.8″पू) तक नहीं पहुंच जाती, यहां से सीमा पट्टीकाडे क्षेत्र की आरक्षित वन सीमा के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर चलती है जब तक कि यह जीपीएस बिंदु 7, मारोत्तिचल (10°29′21.4″उ, और 76°20′46.5″पू) तक नहीं पहुंच जाती, यहाँ से सीमा आरक्षित वन सीमा के साथ उत्तर-पूर्व दिशा की ओर चलती है जब तक कि यह अभयारण्य सीमा, जीपीएस बिंदु 8, थमारवेल्लाचल (10°30′54.1″उ & 76°22′31.2″पू) तक नहीं पहुँच जाती। इसके बाद सीमा अभयारण्य सीमा के साथ चलती है जब तक कि यह जीपीएस बिंदु 9, अर्थ डैम (10°31′58.9″उ और 76°22′31.8″पू) तक नहीं पहुँच जाती, यहाँ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई शून्य है। यहाँ से सीमा निकटतम आरक्षित वन सीमा, जीपीएस बिंदु 10, चेलिकुझी (10°32′06.9″उ और 76°22′17.8″पू) की ओर चलती है, इसके बाद, सीमा पट्टीकड़े पर्वतमाला की आरक्षित वन सीमा के साथ उत्तर की ओर कुथिरन सुरंग के पश्चिमी प्रवेश द्वार तक जाती है। यहाँ से, सीमा आरक्षित वन सीमा का अनुसरण करते हुए जीपीएस बिंदु 11, नारुके (10°34′32.1″उ और 76°21′57.2″पू) तक पहुँचती है, इसके बाद, सीमा उत्तर की ओर बाड़े की सीमा तक जाती है (10°34'34.99"उ, 76°22'1.78"पू) और बाड़े की सीमा का अनुसरण तब तक करती है जब तक यह बाड़े की सीमा जुंडा (10°34'36.44"उ और 76°22'0.92"पू) तक नहीं पहुंच जाती, यहां से सीमा निकटतम आरक्षित वन सीमा जुंडा (10°34'34.01"उ, 76°21'57.40"पू) की ओर जाती है, इसके बाद सीमा आरक्षित वन सीमा के साथ-साथ निन्नुकुझी (10°34'33.60"उ, 76°18'27.70"पू) तक चलती है। इसके बाद, सीमा उत्तर की ओर निन्नुकुझी परिक्षेत्र सीमा (10°34'40.20"उ, 76°18'36.70"पू) की ओर चलती है और परिक्षेत्र सीमा का अनुसरण करते हुए जीपीएस बिंदु 10°34'45.00" उ, 76°18'15.40"पू पर पहुँचती है। यहाँ से सीमा आरक्षित वन सीमा के साथ चलती है जब तक कि यह जीपीएस बिंदु 12, कुट्टीकाडा (10°37′56.1″उ, 76°18′16.4″पू) पर अभयारण्य सीमा तक नहीं पहुँच जाती, फिर सीमा अभयारण्य सीमा के साथ चलती है जब तक कि यह प्रारंभिक जीपीएस बिंदु 13, कासुमाविनथोप्पे तक नहीं पहुँच जाती, यहाँ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई शून्य है।

अनुलग्नक II क

भारत के सर्वेक्षण के अनुसार पीची - वझानी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का मानचित्र, महत्वपूर्ण मार्ग बिंदुओं की टोपोशीट और भू-निर्देशांक

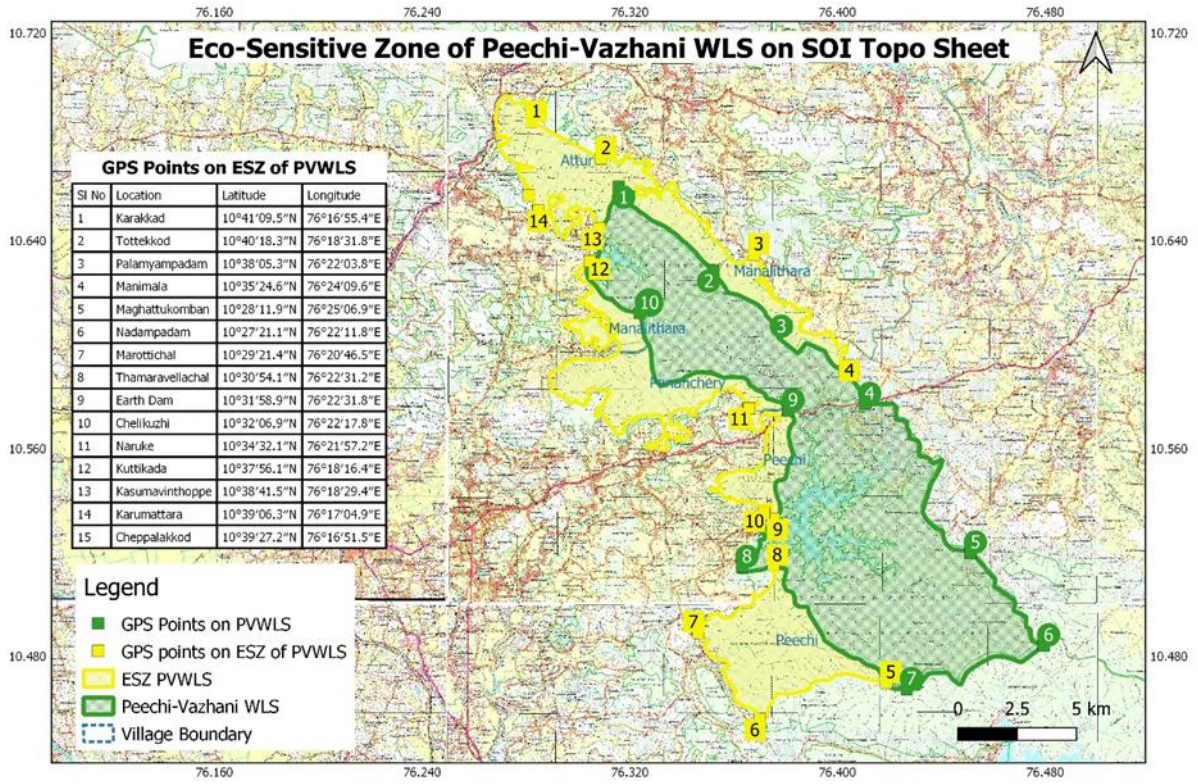

अनुलग्नक II ख

<u>पीची-वज़ानी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का उपग्रह इमेजरी मानचित्र</u>

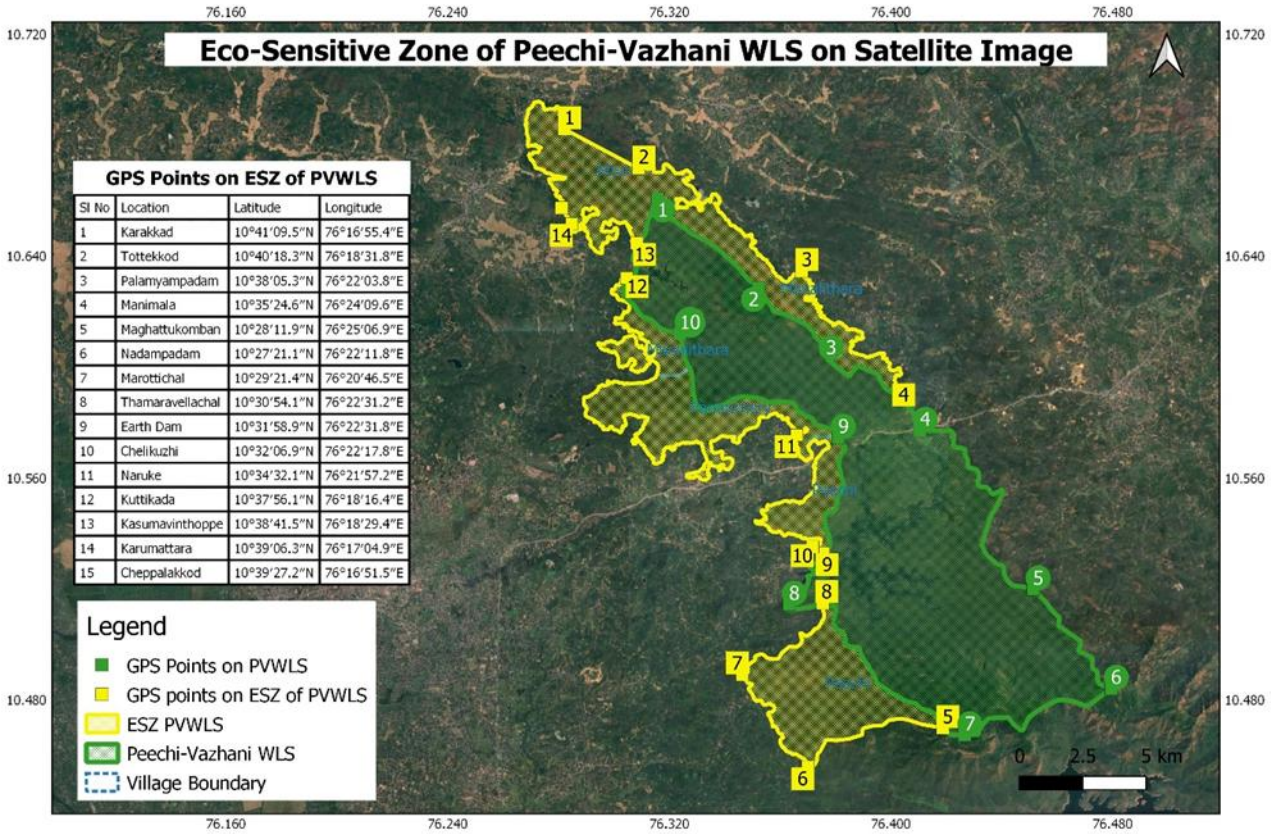

अनुलग्नक III

सारणी क: पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक मानचित्र पर दिखाए गए हैं।

क्र.स.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदुओं का स्थान/दिशा	अक्षांश (डीएमएस प्रारूप में)	देशांतर (डीएमएस प्रारूप में)
1	चेलक्कारा थंडु	उत्तर	10°39′39.46″उ	76°18′56.50″पू
2	मुनिप्पारा	पूर्व	10°37′43.30″उ	76°21′07.90″पू
3	कराडीकुंडु	पूर्व	10°36′25.90″उ	76°22′48.70″पू
4	कोम्बाझा	पूर्व	10°34′37.90″उ	76°24′37.60″पू
5	ओलाकारा	पूर्व	10°31′11.80″उ	76°27′04.30″पू
6	पोनमुडी	दक्षिण	10°29′03.10″उ	76°28′45.90″पू
7	मंगट्टुकोम्बन	दक्षिण	10°28′02.62″ उ	76°25′35.64″पू
8	जुंदामुक्क	पश्चिम	10°30′52.06″उ	76°21′47.50″पू
9	वेल्लानी	पश्चिम	10°34′28.90″उ	76°22′51.40″पू
10	वाज़हानी थंडू	पश्चिम	10°36′43.90″उ	76°19′25.30″पू

सारणी ख: पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.स.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदुओं का स्थान/दिशा	अक्षांश (डीएमएस प्रारूप में)	देशांतर (डीएमएस प्रारूप में)
1	करक्कड	उत्तर	10°41′09.5″उ	76°16′55.4″पू
2	टोट्टेक्कोड	उत्तर	10°40′18.3″उ	76°18′31.8″पू
3	पालमयमपदम	पूर्व	10°38′05.3″उ	76°22′03.8″पू
4	मणिमाला	पूर्व	10°35′24.6″उ	76°24′09.6″पू
5	मघत्तुकोम्बन	दक्षिण	10°28′11.9″उ	76°25′06.9″पू
6	नदमपदम	दक्षिण	10°27′21.1″उ	76°22′11.8″पू
7	मैरॉटिचल	पश्चिम	10°29′21.4″उ	76°20′46.5″पू
8	थमरवेल्लाचल	पश्चिम	10°30′54.1″उ	76°22′31.2″पू
9	पृथ्वी बांध	पश्चिम	10°31′58.9″उ	76°22′31.8″पू
10	चेलिकुझी	पश्चिम	10°32′06.9″उ	76°22′17.8″पू
11	नुरुके	पश्चिम	10°34′32.1″उ	76°21′57.2″पू
12	कुट्टिकाडा	पश्चिम	10°37′56.1″उ	76°18′16.4″पू
13	कसुमाविन्थोप्पे	उत्तर	10°38′41.5″उ	76°18′29.4″पू
14	करुमत्तारा	उत्तर	10°39′06.3″उ	76°17′04.9″पू
15	चेप्पलक्कोड़	उत्तर	10°39′27.2″उ	76°16′51.5″पू

अनुलग्नक IV

पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले गाँवों की सूची, भू-निर्देशांक सहित

क्र. स.	गाँव का नाम	गाँव के प्रकार	तालुका	जिला	जीपीएस निर्देशांक	
					अक्षांश	देशांतर
1	पनांचेरी	राजस्व	त्रिशूर	त्रिशूर	10°34′34.32″उ	76°19′05.33″पू
2	मनालीथारा	राजस्व	थलापिल्ली	त्रिशूर	10°37′42.21″ उ	76°21′32.51″ पू
3	अट्टूर	राजस्व	थलापिल्ली	त्रिशूर	10°40′06.26″ उ	76°17′51.74″ पू
4	पीची	राजस्व	त्रिशूर	त्रिशूर	10°29′35.26″ उ	76°22′13.22″ पू

अनुलग्नक V

कार्रवाई रिपोर्ट का प्रारूप - पीची-वझानी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक संलग्नक में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भूमि अभिलेखों में स्पष्ट त्रुटि के सुधार से संबंधित मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है)
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2026

S.O. 1075(E).— The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on theproposals contained in the draft notification may forward the same in writing, forconsideration of the Central Government within the period so specified to th Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

AND WHEREAS, the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary is spread over an area of 125 sq. km. and situated in Thrissur and Thalappilly Taluks of Thrissur district in the state of Kerala.

AND WHEREAS, the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary is situated within the geographical extremes of latitudes from 10º27'54.0"N to 10º39'47.09"N and longitudes from 76º18'4.12"E to 76º28'53.15"E. This protected area comprises parts of Paravattani, Machadmala and Bharanipachamala Reserves.

AND WHEREAS, the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary has a very high faunal and floral diversity. The sanctuary harbours almost all the major mammals of peninsular India. The topography and climate of the sanctuary enables the occurrence of varied micro and macro habitats to shelter variety of animals. Zoo-geographically, the area is classified as Indo-Malayan Region.

A**ND WHEREAS**, the major families of plant species in the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary include *Acanthaceae, Ameranthaceae, Annonaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Araceae, Asclepodaceae, Asteraceae, Balsaminaceae, Basellaceae, Begoniaceae, Celastraceae, Chloranthaceae, Cochlospermaceae, Combretaceae, Conimelinaceae, Convolvulaceae, Crassulaceae, Cyperaceae, Datiscaceae, Ebenacea, Elaeocarpaceae, Euphorbeaceae, Fabaceae, Mimosaceae, Hypoxidaceae, Icacinaceae, Lamiaceae, Moraceae, Nyctaginaccac, Orchidaceae, Orobanchaceae, Poaceae, Polygalaceac, Rubiaceae, Sapindaceae, Scrophulariaceae, Sterculiaceae, Tiliaceae*, among many others. The major vegetation found in and around the protected area includes Pali (*Palaquium ellipticum*), Nangue (*Mesua ferrea*), Vediplavu (*Cullenia exarillata*), Kalpine (*Dipterocarpus indicus*), Kambakam (*Hopea parviflora*), Vellakil (*Dysoxylum malabaricum*), Vetti (*Aporosa lindleyana*), Thelly (*Canarium strictum*), Nasakam (*Melicope lunu-ankenda*), Kurangumanjal (*Mallotus philippensis*), Manjakadambu (*Haldina cordifolia*), Elavu (*Bombax ceiba*), Vembu (*Toona ciliate*), Njaval (*Syzygium cumini*), Vellilavu (*Lagerstroemia microcarpa*), Karuva (*Cinnamomum zeylanicum*), Nasakam (*Melicope lunuankenda*), Chenkolli (*Mallotus philippensis*), Maruthu (*Terminalia paniculate*), Karimaruthu (*Terminalia tomentosa*), Thanni (*Terminalia bellirica*), Chalavaka (*Albizia procera*), Pala (*Alstonia scholaris*), Veeti (*Dalbergia latifolia),* Vellilavu (*Lagerstroemia microcarpa*), Irul (*Xylia xylocarpa*), Kaini (*Bridelia retusa*), Pezhu (*Careya arborea*), Kannikonna (*Cassia fistula*), Punna (*Dillenia pentagyna*), and Bamboo (*Bambusa arundinacea*).

A**ND WHEREAS**, the major fauna recorded from the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary are Tiger (*Panthera tigris*), Leopard (*Panthera pardus*), Wild dog (*Cuon alpinus*), Sloth Bear (*Melursus ursinus*), Elephant (*Elephas maximus*), Sambar Deer (*Rusa unicolor*), Spotted Deer (*Axis axis*), Barking Deer (*Muntiacus muntjac*), Mouse Deer (*Moschiola indica*), Nilgiri Langur (*Semnopithecus johnii*), Bonnet macaque (*Macaca radiate*), Jungle Palm Squirrel (*Funambulus tristriatus*), Malabar Giant Squirrel (*Ratufa indica*), Sahyadris Forest Rat (*Rattus satarae*), Indian Crested Porcupine (*Hystrix indica*), Indian Flying Fox (*Pteropus giganteus*), Fulvous Leaf-nosed bat (*Hipposideros fulvus*), Golden Jackal (*Canis aureus*), Smooth coated Otter (*Lutrogale perspicillata*), Small Indian Civet (*Viverricula indica*), Grey Mongoose (*Herpestes edwardsii*), Wild Boar (*Sus scrofa*), etc.

AND WHEREAS, bird species of Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary include from the families of *Phalacrocoracidae, Anhigidae, Anatidae, Accipitridae, Falconidae, Phasianidae, Rallidae, Laridae, Columbidae, Cuculidae, Strigidae, Capriniulgidae, Apodidae, Meropidae, Megalaimidae, Pittidae, Campephagidae, Pycnonotidae, Turdidae, Steuostiridae, Sittidae, Passeridae,* etc. Some of the prominent bird includes Little Cormorant (*Microcarbo niger*), Grey Heron (*Ardea cinerea*), Striated Heron (*Butorides striatus*), Northern Pintail (*Anas acuta*), Brahminy Kite (*Haliastur indus*), Eurasian Marsh-Harrier (*Circus aeniginosus*), Black Eagle (*Ictinaetus malaiensis*), Common Kestrel (*Falco tinnunculus*), Little Ringed Plover (*Charadrius dubius*), Green Imperial-Pigeon (*Ducula aenea*), Rose-ringed Parakeet (*Psittacula krameri*), Common Hawk Cuckoo (*Hierococcyx varius*), Drongo Cuckoo (*Surniculus lugubris*), Spotted Owlet (*Athene brama*), Great Eared Nigbtjar (*Eurostopodus macrolls*), Indian Roller (*Coracias benghalensis*), Malabar Barbet (*Psilopogon malabaricus*), Yellow Crowned Woodpecker (*Leiopicus mahrattensis*), Red-rumped Swallow (Cecropis daurica), Forest Wagtail (Dendronanthus indicus), Orange Minivet (*Pericrocotus flammeus*), Flame-throated Bulbul (*Pycnonotus gularis*), Jerdon's Leafbird (*Chloropsis jerdoni*), Indian Blackbird (*Turdus simillimus*), Rufous Babbler (*Argya subnifa*), Thick-billed Warbler (*Arundinax aedon*), Nilgiri Flycatcher (*Eumyias albicaudatus*), Indian Blue Robin (*Larvivora brunnea*) Oriental Magpie-Robin (*Copsychus saularis*), Thick-billed Flower pecker (*Dicaeum agile*), Purple Sunbird (*Cinnyris asiaticus*), Brahminy Starling (*Sturnus pagodarum*), Indian Golden Oriole (*Oriolus kundoo*), Rufous Treepie (*Dendrocitta vagabunda*), Rosy Starling (*Paster roseus*), among several others.

AND WHEREAS, the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary supports a wide range of important reptile species such as Cochin Forest Cane Turtle (*Vijayachelys sylvatica*), Indian Black Turtle (*Melanochelys trijuga*), Travancore Tortoise (*Indotestudo travancorica*), Elliot's Forest Lizard (*Monilesaurus ellioti*), Roux's Forest Lizard (*Monibesaurus rouxii*), Wayanad Day Gecko (*Cnemaspis wynadensis*), Bark Gecko (*Hemidactylus leschenaultii*), Common Keeled Skink (*Eutropis carinata*), Bengal Monitor (*Varanus bengalensis*), Indian Rock python (*Python molurus*), Common Trinket Snake (*Coelognathus helena*), Common Kukri Snake (*Oligodon arnensis*), Common Wolf Snake (*Lycodon aulicus*), Striped Keelback (*Amphiesma stolatum*), Common Indian Krait (*Bungarus caeruleus*), Russel's Viper (*Daboia russelii*), etc.

AND WHEREAS, the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary supports a wide range of important amphibian species such as Common Indian Toad (*Duttaphrynus melanostictus*), Skittering Frog (*Euphlyctis cyanophlyctis*), Indian Burrowing Frog (*Sphaerotheca breviceps*), Reddish Narrow-mouthed Frog (*Microhyla rubra*), Bicoloured Frog (*Clinotarsus curtipes*), Common Indian Tree Frog (*Polypedates maculates*), Water Drop Frog (*Raorchestes nerostagona*), Malabar Gliding Frog (*Rhacophorus malabaricus*), Anamallais Leaping frog (*Indirana brachytarsus*), South Indian Frog (*Indirana semipalmata*), Menon's Caecilian (*Uraeotyphlus menoni*), etc.

AND WHEREAS, fish species found in the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary includes Black Line Rasbora (*Rasbora dandia*), Common Carp (*Cyprinus caprio*), Black Spot Barb (*Dokinsia filamentosa*), Rohu (*Labeo rohita*), Catla (*Labeo catla*), Peninsular Olive Bar (*Systomus sarana*), Western Ghat Loach (*Bhavania australis*), Malabar Loach (*Lepidocephalus thermalis*), Malabar Mystus (*Mystus oculatus*), Indian Butter Catfish (*Ompok bimaculatus*), Fresh Water Garfish (*Xenentodon cancila*), Malabar Killie (*Aplocheilus lineatus*), Orange Chromid (*Pseudetroplus maculatus*), Tank Goby (*Glossogobius guiris*), etc.

AND WHEREAS, the butterfly species found in the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary includes Spot Swordtail (*Graphium nomius*), Crimson Rose (*Pachliopta hector*), Tailed Jay (*Graphium Agamemnon*), Red Helen (*Papilio Helenus*), Lime Butterfly (*Papilio detnoleus*), Blue Mormon (*Papilio polymnestor*), Painted Sawtooth (*Prjoneris sita*), Chocolate Albatross (*Appias lyncida*), Bamboo Tree brown (*Lethe europa*), Common Four-ring (*Ypthima huebneri*), Common Sailer (*Neptis hylas*), Common Castor (*Ariadne merione*), Peacock Pansy (*Junonia almana*), Blue Tiger (*Tirumala limniace*), Striped Tiger (*Danaus genutia*), Common Pierrot (*Castalius rosimon*), Pale grass blue (*Pseudozizeeria maha*), Common Awl (*Hagora badra*), Bush Hopper (*Ampittia dioscorides*), Giant Red-eye (*Gangara thyrsis*), Rice Swift (*Borbo cinnara*), Water Snow Flat (*Tagiades litigiosa*), Golden angle (*Odontoptilum ransonnetii*), Tawny Coster (*Acraea violae*), Mottled Emigrant (*Catopsilia pyranthe*), Pale grass blue (*Pseudozizeeria maha*), Coon (*Psolos fuligo*), etc.

AND WHEREAS, the predominant vegetation type in the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary is moist deciduous, covering about 80 percent of the sanctuary area. Semi evergreen and some evergreen patches are seen along the higher slopes. The vegetation, therefore, changes from moist deciduous to evergreen. The sanctuary area is at the end of north-western portion of a vast forested landscape extending from the Nelliampathies to the Chimmony Wildlife Sanctuary at the southern boundary. The forests of this sanctuary are connected with Parambikulam and Vazhachal forests.

AND WHEREAS, the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary is a part of the Anamudi Elephant Reserve in the State of Kerala, with a total forest area of 3728 sq. km. Anamudi Elephant Reserve consists of several Protected Areas viz., Parambikulam Tiger Reserve, Peechi Wildlife Sanctuary, Chimmony Wildlife Sanctuary, Thattekkad Wildlife Sanctuary, Chinnar Wildlife Sanctuary, Idukki Wildlife Sanctuary, Eravikulam National Park, Anamudi Shola National Park, Pambadum Shola National Park, Mathikettan Shola National Park and Kurinjimala Wildlife Sanctuary and the forest areas of Vazhachal, Nenmara, Chalakudy, Thrissur, Munnar, Malayattur, Kothamangalam and Mankulam forest divisions.

AND WHEREAS, The sanctuary area is a large representative area of south Indian moist deciduous forests in the Western Ghats with associated floral and faunal diversity with representation of almost the entire range of south Indian wildlife.

AND WHEREAS, the forests of the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary forms the catchments of Peechi and Vazhani reservoirs by the way of their favourable influence on soil and water conservation regimes, ensuring water availability in these reservoirs by providing drinking water to Thrissur town as well as irrigating agricultural lands.

AND WHEREAS, the Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary has exceptional medicinal plant diversity with rare and endangered species. The forests of the sanctuary ameliorate the micro climate and exert favourable influence on the soil and water conservation regimes of the adjacent habitations and agricultural lands.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, surrounding the boundaries of Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 kilometer to 6.5 kilometers, around the boundary of Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary in Thrissur

and Thalappilly Taluks of Thrissur district in the state of Kerala as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone. –

(1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 km to 6.5 km around the boundary of Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive zone 76.8 square kilometer.

(2) The boundary description of Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone are appended in Annexure-I.

(3) The Maps of Eco-sensitive zone of Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary are appended as Annexure-II A and Annexure-II B.

(4) Geo-coordinates of the boundary of Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone are appended as Annexure-III.

(5) The list of villages falling in the proposed eco-sensitive zone is given in Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone:-

(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.
(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
(i) Environment, Forest,
(ii) Urban Development,
(iii) Tourism, Municipal,
(iv) Revenue,
(v) Irrigation,
(vi) Local Self Government Department,
(vii) Public Works Department,
(viii) Kerala State Pollution Control Board

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies, and the plan is supported by land use map.
(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of the local communities.
(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the regional development plan.
(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture area, agriculture area, Parks and open spaces earmarked for recreation purposes in the ESZ shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agriculture and other land within the ESZ for the purpose other than that specified at part A, may be permitted on the recommendation of the Monitoring committee and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, such as-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new road;
(ii) Construction and renovation of infrastructure and basic civic amenities;
(iii) Small scale industries not causing pollution;
(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay;
(v) Promoted activities given in paragraph 4

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs / rivers / channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;
(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Department of Revenue and Forests, Government of Kerala;
(i) Ecotourism activities in the forest areas shall be as per the prescriptions of the working plans or management plans.
(ii) The eco-tourism master plan for the forest areas forming part of the ESZ shall be prepared by the department of forests and wildlife in association with the state department of tourism.
(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;
(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;
(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) New constructions of hotels and resorts shall not be permitted within the ESZ except for accommodation of temporary occupation of tourist related to eco-friendly tourism activities;
Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the ESZ shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest And Climate Change and the eco-tourism guideline issued by National Tiger Conservation Authorities (as amended from

time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development based on the carrying capacity study of the ESZ;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the monitoring committees. No new hotels/ resorts or commercial establishment construction is permitted within eco sensitive zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, area and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the ESZ and heritage conservation plan for their conservations shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) Noise Pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the ESZ shall be compiled with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air Pollution. - Prevention and control of air pollution in the ESZ shall be compiled with in accordance with the prevention of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and rule made there under and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - The discharge of treated effluents in ESZ shall be in accordance with the provision of General Standards of Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time;
(b) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
(c) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the ESZ;

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016; as amended from time to time.
(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the ESZ.

(11) Plastic waste management. - The Plastic Waste Management in the ESZ shall be carried out as per the provision of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR. 340 (E), dated the 18th march 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the ESZ shall be carried out as per the provision of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR.317 (E), dated 29th March, 2016 as amended from time to time.
(13) E-waste. - The E-waste management in the ESZ shall be carried out as per the provision of E-waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the state Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant acts and rules and regulation made there under.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and Control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the ESZ;
(b) Only non-polluting industries shall be allowed with in ESZ as per classification of industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-
(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited, regulated, and permitted within Eco-Sensitive Zone.-

All activities in the Peechi-Vazhani Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and other Acts and Rules prevalent in the State. Forest area coming under the eco-sensitive zone will remain to be governed under existing forest laws. Subject to the provisions of this paragraph, the activities in the Eco-sensitive Zone shall be regulated in accordance with tabular column given below, namely:-

Table

Sl. No.	Activity	Description
A. **Prohibited Activities**		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	a. All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestics' needs of bona fide local residents with reference to digging of earth for construction of repair of houses and for manufacture of country tails or bricks for housing for personal consumption; b. The mining operation shall strictly be in accordance with the interim order of Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and order of Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014, in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the ESZ shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of new major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (Except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste are permitted within ESZ. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/ hospitals etc. is prohibited.
7.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Manufacturing and storage of explosive items.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Conversion of hills for commercial purpose.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the ESZ.
12.	Commercial use of Firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
13.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
14.	Encroachment of river banks and destruction of river bank vegetation, collection of river stone.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Dumping of solid wastes/ plastic wastes/ chemical wastes in the river and the land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
16.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected Area or up to the extent of ESZ, whichever is nearer, except for small temporary structure for Eco-tourism activities. Provided that, extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan.
17.	Construction activities.	a. No new commercial construction of any kind shall be permitted within the ESZ Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to beat the residential needs of the local residents such as: i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

		ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; iii. Small scale industries not causing pollution termed as per classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and v. Promoted activities listed in this notification. b. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. c. Construction activities in ESZ shall be as per the Zonal Master Plan.
18.	Small scale non-polluting industries.	Non- polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazards, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the ESZ shall be permitted by the competent authority.
19.	Felling of Trees.	a. There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the state government. b. The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under. c. In case of reserve forests and protected forests the working plan prescription shall be followed.
20.	Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
21.	Erecting of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
22.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guide lines.
23.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper environment impact assessment and mitigation measures as per applicable laws, rules and regulation and available guide lines.
24.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial Fishing and unscientific fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws, however, permitted for bona fide use of tribes.

26.	Protection of Hill Slopes and river.	Regulated under applicable laws.
27.	Movements of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
28.	Ongoing agricultural horticultural practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
29.	Discharge of treated waste water/ effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sledge or solid waste, the existing regulation shall be followed. The discharge of treated waste water /effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
30.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
31.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activities should be strictly monitored by the appropriate authority.
32.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
33.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
34.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
35.	Use polythene bags.	Based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
36.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. **Promoted Activities**	
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
39.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
40.	Non-polluting Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
41.	Use of renewable energy and fuels.	Biogas, solar light, etc. to be actively promoted.
42.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
43.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
44.	Skill development.	Shall be actively promoted.
45.	Restoration of Degraded land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
46.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.-** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee

to be called as the Peechi-Vazhani Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification. The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1) above, shall consist of the following members, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The District Collector, Thrissur, Palakkad	Chairman;
(ii)	The District Panchayat President, Thrissur	Member;
(iii)	Representatives of Kerala State Pollution Control Board/Kerala State Electricity Board/Kerala Water Authority/Kerala State Irrigation Department/Kerala State Environment Department	Member;
(iv)	Representative of Non-Governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government o Kerala	Member;
(v)	One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Kerala t be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vi)	The Wildlife Warden, Peechi	Member Secretary;

6. **Terms of Reference of the Monitoring Committee.-**

1. The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

2. The tenure of the Monitoring Committee has been for three years.

3. The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September 2006 and are falling in ESZ, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 7 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

4. The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September 2006 and are falling in ESZ, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authority.

5. The Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

6. The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or representative from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

7. The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities by the 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma given Annexure-V.

8. The central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such direction, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

9. The central Government and State government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provision of this notification.

10. The provision of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/109/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Annexure I

BOUNDARY DESCRIPTION OF PEECHI- VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY

North & East: Starting from a point at elevation 370 m at about 3.2 km north of Vazhani Dam site, the boundary runs more or less southeast along the eastern catchment boundary of Vazhani reservoir up to the common Taluk boundary of Thalappilly and Thrissur Taluks at Munippara (515 m). Thence more or less in the same direction along the common Taluk boundary of the said Taluks up to the tri-junction of Palakkad, Thrissur and Thalappilly Taluks, thence along the common Taluk boundary of Palakkad and Thrissur Taluks up to the tri-junction of Palakkad, Mukundapuram and Thrissur Taluks at Ponmudi (914 m).

South: Thence more or less west along the common Taluk boundary of Mukundapuram and Thrissur Taluks up to a point in the said Taluk boundary about a km West of Mangattukomban (840 m).

West: Thence more or less North-west along with western catchment boundary of Peechi Reservoir up to Peechi Dam via. Vengappara (555 m) and height points 245 and 185; thence more or less North along the said catchment boundary till it meets Thrissur-Vaniampara road, thence first more or less West-North West and then more or less North-North-West along the Western catchment boundaries of Peechi and Vazhani reservoirs passing height points 200 and 205 and the Vazhani Dam to the starting point.

The Sanctuary is surrounded by Reserve Forests except for the eastern boundary from Vaniampara up to Palakuzhy near the south-eastern end. The Reserve Forests of Machad Range of Thrissur Division is on the north, northeast and northwest and the reserve forests of the Pattikkad range is on the western side and a small portion of boundary adjoins the reserve forests of the Palappilly Range of the Chalakkudy Division on the southwest and the forests of the Chimmony Wildlife Sanctuary on the south and the reserve forests of the Alathur Range of Nenmara Division is on the southeastern boundary near to Palakuzhy and Ponmudi.

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF PEECHI- VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY

North	The Eco-Sensitive Zone boundary of Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary starts from the sanctuary boundary, GPS point 13, Kasumavinthoppe (10°38′41.5″N, 76°18′29.4″E), from here the boundary runs towards the west to the nearest reserve forest boundary Junda of Machad Range, (10°38'42.00"N, 76°18'26.00"E), thence, the boundary runs along the Reserve forest boundary towards the northwest direction till it reaches the GPS Point 14, Karumattara (10°39′06.3″N, 76°17′04.9″E) from here the boundary runs straight towards the GPS Point 15, Cheppalakkod (10°39′27.2″N, 76°16′51.5″E), thence the boundary runs along the reserve forest boundary of Machad Range till it reaches the GPS point 1, Karakkad (10°41′09.5″N, 76°16′55.4″E) from here the boundary runs straight towards the south-east direction to GPS point 2, Tottekkod (10°40′18.3″N, 76°18′31.8″E).
East	Thence, the boundary runs along the reserve forest boundary of Machad Range till it reaches GPS point 3, Palamyampadam (10°38′05.3″N, 76°22′03.8″E), from here the boundary runs further south along the Reserve Forest Boundary till it reaches the District boundary of Thrissur and Palakkad, from here the boundary follows the district boundary towards the south west direction till it reaches the Sanctuary boundary, GPS point 4, Manimala (10°35′24.6″N & 76°24′09.6″E). Thence the boundary follows the sanctuary boundary until it reaches Ponmudi, here the width of the Eco-Sensitive zone is Zero.
South	Thence, the boundary follows the sanctuary boundary of Peechi-Vazhani and Chimmony Wildlife Sanctuaries towards the west direction till it reaches GPS point 5, Maghattukomban (10°28′11.9″N & 76°25′06.9″E). Here, the width of the ESZ is Zero.
West	Thence, the boundary runs along the taluk boundary of Thrissur and Chalakudy till it reaches GPS Point 6, Nadampadam (10°27′21.1″N & 76°22′11.8″E), from here the boundary runs towards northwest direction along the reserve forest boundary of Pattikade Range till it reaches GPS Point 7, Marottichal (10°29′21.4″N, & 76°20′46.5″E), From here the boundary runs towards the northeast direction along the Reserve Forest boundary till it reaches the Sanctuary Boundary, GPS point 8, Thamaravellachal (10°30′54.1″N & 76°22′31.2″E). Thence the boundary runs along the Sanctuary Boundary till it reaches GPS point 9, Earth Dam (10°31′58.9″N & 76°22′31.8″E), here the width of the ESZ is Zero. From here the boundary runs towards the nearest Reserve Forest Boundary, GPS point 10, Chelikuzhi (10°32′06.9″N & 76°22′17.8″E) Thence, the boundary runs along the Reserve Forest Boundary of Pattikade Range towards the North till it reaches the Western Entrance of Kuthiran tunnel. From here the boundary follows the Reserve Forest Boundary till it reaches GPS point 11, Naruke (10°34′32.1″N & 76°21′57.2″E), Thence, the boundary runs towards north to the enclosure boundary (10°34'34.99"N, 76°22'1.78"E) and follows the enclosure boundary till it reaches enclosure boundary Junda (10°34'36.44"N & 76°22'0.92"E), From here the boundary runs towards the nearest reserve forest boundary Junda (10°34'34.01"N, 76°21'57.40"E), Thence the boundary runs along the reserve forest boundary till it reaches Ninnukuzhi (10°34'33.60"N, 76°18'27.70"E). Thence, the boundary runs north towards the Ninnukuzhi enclosure boundary (10°34'40.20"N, 76°18'36.70"E) and follows the enclosure boundary till it reaches GPS point 10°34'45.00" N, 76°18'15.40"E. From here the boundary runs along the Reserve Forest Boundary till it reaches the sanctuary boundary at GPS Point 12, Kuttikada (10°37′56.1″N, 76°18′16.4″E), Thence the boundary runs along the Sanctuary boundary till it reaches the starting GPS Point 13, Kasumavinthoppe, here the width of the ESZ is Zero.

Annexure II A

MAP OF THE PEECHI - VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY ECO-SENSITIVE ZONE OF ON SURVEY OF INDIA TOPOSHEET AND GEO-COORDINATES OF THE IMPORTANT WAYPOINTS

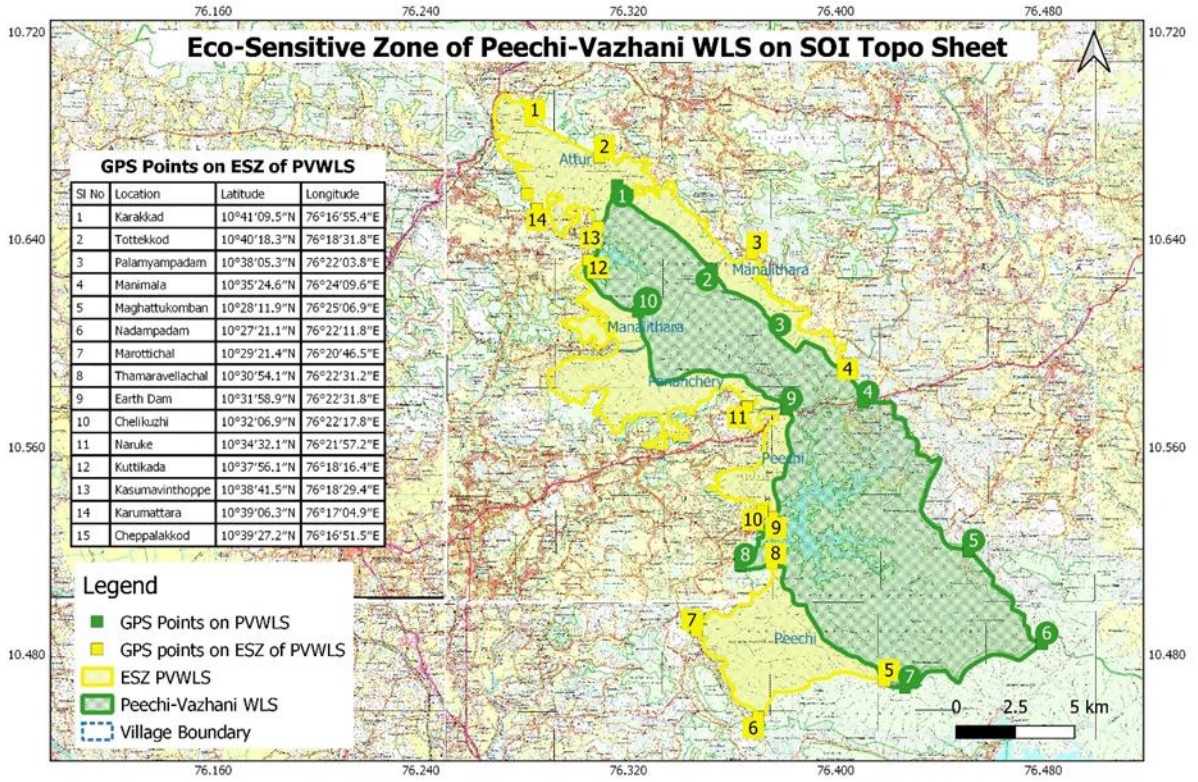

Annexure II B

THE SATELLITE IMAGERY MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AREA OF PEECHI-VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY

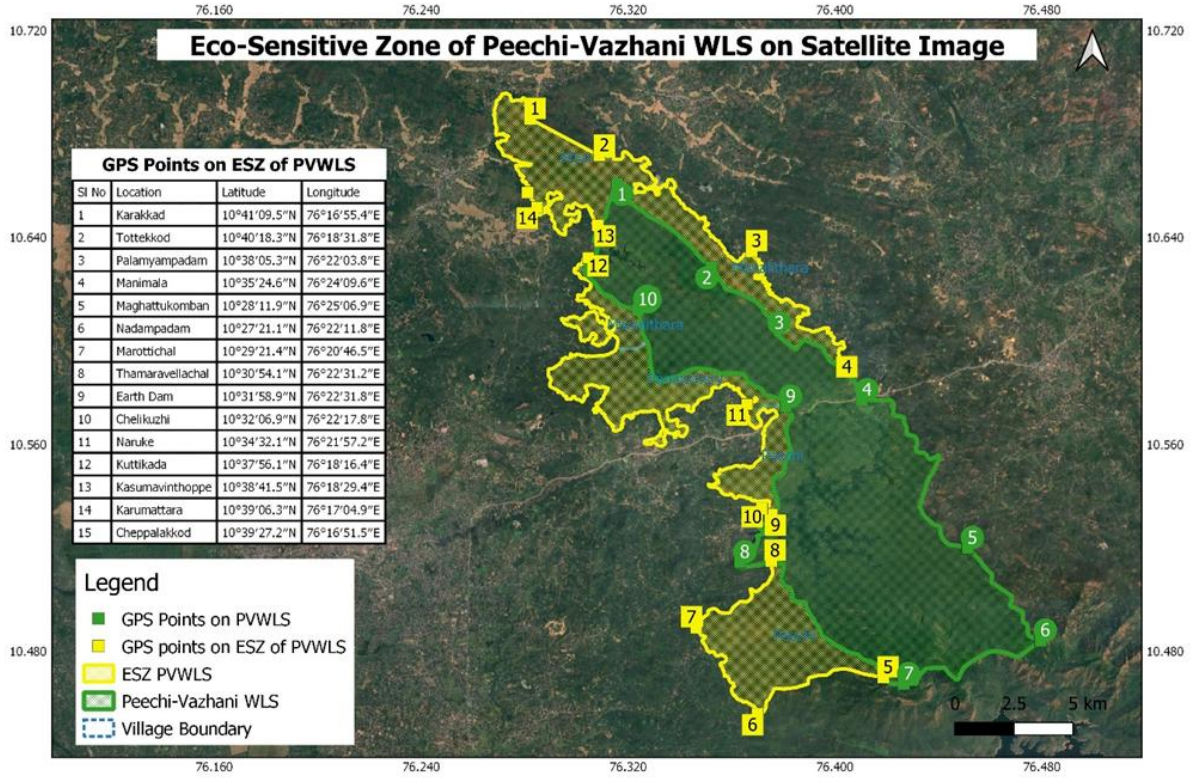

Annexure III

Table A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF PEECHI -VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY SHOWN ON MAP.

Sl. No	Identification of prominent points	Location/Direction of prominent points	Latitude in DMS Format	Longitude in DMS Format
1	Chelakkara Thandu	North	10°39′39.46″N	76°18′56.50″E
2	Munippara	East	10°37′43.30″N	76°21′07.90″E
3	Karadikundu	East	10°36′25.90″N	76°22′48.70″E
4	Kombazha	East	10°34′37.90″N	76°24′37.60″E
5	Olakara	East	10°31′11.80″N	76°27′04.30″E
6	Ponmudi	South	10°29′03.10″N	76°28′45.90″E
7	Mangattukomban	South	10°28′02.62″N	76°25′35.64″E
8	Jundamukk	West	10°30′52.06″N	76°21′47.50″E
9	Vellani	West	10°34′28.90″N	76°22′51.40″E
10	Vazhani Thandu	West	10°36′43.90″N	76°19′25.30″E

Table B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PEECHI -VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY.

Sl. No	Identification of prominent points	Location/Direction of prominent points	Latitude in DMS Format	Longitude in DMS Format
1	Karakkad	North	10°41′09.5″N	76°16′55.4″E
2	Tottekkod	North	10°40′18.3″N	76°18′31.8″E
3	Palamyampadam	East	10°38′05.3″N	76°22′03.8″E
4	Manimala	East	10°35′24.6″N	76°24′09.6″E
5	Maghattukomban	South	10°28′11.9″N	76°25′06.9″E
6	Nadampadam	South	10°27′21.1″N	76°22′11.8″E
7	Marottichal	West	10°29′21.4″N	76°20′46.5″E
8	Thamaravellachal	West	10°30′54.1″N	76°22′31.2″E
9	Earth Dam	West	10°31′58.9″N	76°22′31.8″E
10	Chelikuzhi	West	10°32′06.9″N	76°22′17.8″E
11	Naruke	West	10°34′32.1″N	76°21′57.2″E
12	Kuttikada	West	10°37′56.1″N	76°18′16.4″E
13	Kasumavinthoppe	North	10°38′41.5″N	76°18′29.4″E
14	Karumattara	North	10°39′06.3″N	76°17′04.9″E
15	Cheppalakkod	North	10°39′27.2″N	76°16′51.5″E

Annexure IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF PEECHI-VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No	Village Name	Type of Village	Taluka	District	GPS Co-ordinates	
					Latitude	Longitude
1	Pananchery	Revenue	Thrissur	Thrissur	10°34′34.32″N	76°19′05.33″E
2	Manalithara	Revenue	Thalappilly	Thrissur	10°37′42.21″N	76°21′32.51″E
3	Attoor	Revenue	Thalappilly	Thrissur	10°40′06.26″N	76°17′51.74″E
4	Peechi	Revenue	Thrissur	Thrissur	10°29′35.26″N	76°22′13.22″E

Annexure V

Performa of Action Taken Report – Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary Eco sensitive zone monitoring Committee:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinized for activities **not** covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.02 15:49:04 +05'30'